

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार बैजूपाडा बनाम सुनिता

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 141/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.9.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का बावडीखेडा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का बावडीखेडा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम कुआ का बास पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 35 के खातेदार सुनिता पुत्री रमेश 1/192 जाति बेरवा सा.देह खातेदार एवं सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 5/576 जाति बेरवा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड खातेदार की जांच की गई। जांच में सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 1/192 जाति बेरवा सा.देह एवं सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 5/576 जाति बेरवा सा.देह की दोहरी प्रविष्टी पायी गई। उक्त दोहरी प्रविष्टी को सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 1/72 कर एक किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 18.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा उक्त दोहरी प्रविष्टी खातेदार सुनिता पुत्री रमेश 1/192 जाति बेरवा सा.देह खातेदार एवं सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 5/576 जाति बेरवा सा.देह को खातेदार सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 1/72 शुद्ध किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुआ का बास पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 35 के खातेदार सुनिता पुत्री रमेश 1/192 जाति बेरवा सा.देह खातेदार एवं सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 5/576 जाति बेरवा सा.देह दोहरी प्रविष्टी को खातेदार सुनिता पुत्री रमेश हिस्सा 1/72 शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबन्दी यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.9.2025 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अमित कुमार वर्मा) R. A. S उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा मण्डावर (दौसा) </p>	